

प्रकरण संख्या 63/2018 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

वरदीचंद पिता रूपाजी कुमावत निवासी चान्दखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
द्वारा विक्रय पत्र 03.05.2018 के बजाय श्रीमती मंजू पत्नी रामलाल जाति तेली निवासी
ओरंगाबाद महाराष्ट्र।

—वादी

// बनाम //

1. प्रभुनाथ पिता नन्दानाथ आयु वयस्क निवासी मड्डा गुलफरोशान, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. अमरनाथ पिता नन्दानाथ आयु वयस्क निवासी मड्डा गुलफरोशान, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. जगदीशनाथ पिता नन्दानाथ आयु वयस्क निवासी मड्डा गुलफरोशान, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. पूरणनाथ पिता नन्दानाथ आयु वयस्क निवासी मड्डा गुलफरोशान, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. बदामी पुत्री नन्दानाथ आयु वयस्क निवासी मड्डा गुलफरोशान, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. मु0 भंवरीबाई पत्नी स्व0 नन्दानाथ आयु वयस्क निवासी मड्डा गुलफरोशान, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री जगदीशचंद्र मेनारिया - अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक :-10.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री जगदीशचंद्र मेनारिया वादी अधिवक्ता पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा मड्डा गुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 194 की आराजी नम्बर 382 रकबा 0.9400 हैक्टयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 14.04.2023 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.08.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1 श्री मंजू पत्नी रामलाल तेली सा. ओरगाबाद महाराष्ट्र खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टयर) किस्म लगान
382 0.14 चाही 3 2.66
पूर्वी उत्तरी

कुल किता-1

0.14

2.66



2 श्री भेरुनाथ, राजेशनाथ, गुड्डी पिता लहरनाथ मु. सोसारबाई पत्नी स्व. लहरनाथ जाति नाथ सा. मण्डागुलफरोशान

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
382	0.33	चाही 3	6.27

पूर्वी दक्षिण व मध्य तक

कुल किता-1	0.33	6.27
------------	------	------

3 श्री अमरनाथ, जगदीशनाथ, प्रभूनाथ पिता नंदानाथ जाति नाथ सा. मण्डागुलफरोशान 1/2, श्री मुकेश कुमावत पिता शंकरलाल कुमावत सा. निम्बाहेडा 1/2 खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
382	0.47	चाही 3	8.93

पश्चिम

कुल किता-1	0.47	8.93
------------	------	------

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक..... बाबत.....
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
 से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे
 बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.10.2024 को जारी की

गई।
 मुहर


 दस्तखत

ओहदा

मुददर्ई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
.....				
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
.....				
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		
.....				
महनताना वकील	...		महनताना वकील		
.....				
खर्चा गवाहान.	...		खर्चा गवाहान		
.....	0	0	0	0
फीस कमिश्नर.	..		फीस कमिश्नर		
.....				
बाबत इजराय हुक्मनामा	.		बाबत इजराय हुक्मनामा		
.....				
मुतफरिक	.		मुतफरिक		
.....				
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।